न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार के समक्ष

याचिकाकर्ता - गुरमेश बिश्नोई

बनाम

प्रतिवादी - भजन लाल

1996 का ई.पी. नंबर 11,

2000 का सीएम नंबर 58-ई

2 अगस्त, 1997 और 23 अप्रैल, 2002

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 - धारा 80, 83, 86, 87, 100 और 123 - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - 0.6 आरएल 16 - हरियाणा विधान सभा के लिए चुनाव - भ्रष्ट आचरण और बूथ कैप्चरिंग के आरोप - याचिका के कुछ पैराग्राफ में अस्पष्ट और भौतिक तथ्यों की कमी - प्रारंभिक मुद्दा - क्या याचिका खारिज की जा सकती है - माना जाता है, नहीं- केवल पैराग्राफ अस्पष्ट पाए जाते हैं और याचिकाओं से हटाए जाने पर योग्य भौतिक तथ्यों का अभाव होता है - पैराग्राफ जो केवल परिचयात्मक और व्याख्यात्मक हैं। उनके विवरण बाद के पैराग्राफ में प्रदान किए गए हैं- कुछ अनुच्छेद हटाने से याचिका की विचारणीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

माना जाता है कि दलीलें विशिष्ट होनी चाहिए और उन्हें उस विशिष्ट मामले को इंगित करना चाहिए जिसे दूसरे पक्ष को मिलने के लिए बुलाया गया है, लेकिन याचिका में विस्तार से साक्ष्य को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि साक्ष्य को दलीलों के दायरे में अग्रिम किया जाना चाहिए। याचिका में लगाए गए आरोपों को उचित सबूतों द्वारा समर्थित किया जाना है, जबकि पक्षों को मुकद्दमे के दौरान साक्ष्य को अग्रिम करने के लिए बुलाया जाता है। ये दलीलों के निर्माण से संबंधित कानून के कुछ स्थापित सिद्धांत हैं जिन्हें समय-समय पर सभी न्यायालयों द्वारा दोहराया गया है। दलीलों को उचित तरीके से और स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप माना जाना चाहिए। न्यायालय निश्चित रूप से इस बात की जांच करेगा कि क्या वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्धारित सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। पैराग्राफ जो अस्पष्ट प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन जब याचिका के अन्य पैराग्राफ के साथ संयोजन में पढ़ा जाता है, तो अस्पष्ट नहीं रह सकता है या उन्हें सामग्री विवरण और तथ्यों की कमी नहीं कहा जा सकता है। धारा 100 के साथ पठित धारा 123 के प्रावधानों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और आदेश 6 नियम **16 की अन्य प्रक्रियात्मक धाराओं** के मद्देनजर एक दलील को रिकॉर्ड से केवल तभी रोका जा सकता है जब यह अनावश्यक, निंदनीय, तुच्छ, कष्टप्रद हो या पूर्वाग्रह पैदा करने का इरादा रखता हो। , निष्पक्ष सुनवाई को शर्मिंदा करता है या उसमें देरी करता है या न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करता है और अधिनियम के प्रावधानों में वर्णित वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

गुरमेश बिशनोई बनाम भजन लाल (न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार) (पृष्ठ 3)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

(अनुच्छेद 8)

आगे कहा गया कि अलग से पढ़ा गया एक पैराग्राफ कुछ हद तक अस्पष्ट हो सकता है, लेकिन याचिका के अन्य पैराग्राफ के साथ संयोजन के रूप में पढ़ते समय, यह तथ्यों के लिए इसके उचित और निश्चित अर्थ को व्यक्त कर सकता है, क्योंकि इससे प्रतिवादी को कोई पूर्वाग्रह नहीं हो सकता है। उन परिस्थितियों में, पैराग्राफ को रिकॉर्ड से हटाया नहीं जा सकता । यदि कोई अनुच्छेद परिचयात्मक है और विनिर्देशों और भौतिक तथ्यों के साथ इसका विवरण बाद के पैराग्राफ में प्रदान किया गया है, तो उक्त पैराग्राफ को इस आधार पर रिकॉर्ड से हटाया नहीं जा सकता है कि उसमें भौतिक तथ्यों का अभाव है।

(अनुच्छेद 8)

आगे कहा गया कि याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता है, भले ही कुछ पैराग्राफ हटा दिए गए हों। इसका मतलब है कि याचिका के अन्य पैराग्राफ सामग्री पैराग्राफ हैं और वे भौतिक तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं और अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों का पालन करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि पैराग्राफ केवल परिचयात्मक या व्याख्यात्मक पैराग्राफ हैं, जिन्हें वर्तमान प्रश्न को निर्धारित करने के लिए पूरी याचिका में किए गए तथ्यों और आरोपों की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए।

(अनुच्छेद 14)

गुरमेश बिशनोई बनाम भजन लाल (न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार) (पृष्ठ 4)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 - धारा 81 (1), 82, 86 (4), 108 से 112 - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - 0.1 आरएल 10, 0.23 आरएल 1 - हरियाणा विधान सभा के लिए चुनाव - प्रतिवादी निर्वाचित घोषित - उसे चुनौती - अदालत के नोटिस के बावजूद अंतिम बहस के समय याचिकाकर्ता का उपस्थित न होना - क्या उच्च न्यायालय के पास गैर-अभियोग या चूक के लिए चुनाव याचिका को खारिज करने का अधिकार क्षेत्र है। हाँ - हालांकि, जब याचिकाकर्ता के इरादे सही नहीं हैं और वह कानून की प्रक्रिया को कुंठित करने का इरादा रखते हैं, तो डिफ़ॉल्ट रूप से याचिका को खारिज करना न तो अनिवार्य है और न ही अनिवार्य है - याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच अनुचित समझौते का आरोप - क्या मूल याचिकाकर्ता के स्थान पर एक मतदाता को प्रतिस्थापित / आरोपित किया जा सकता है - हां - चुनाव याचिका पूरे निर्वाचन क्षेत्र की ओर से एक याचिका है और प्रत्येक मतदाता के पास अधिनियम के तहत प्रदान की गई सीमाओं के अधीन कानूनी अधिकार है।

यह माना जाता है कि एक चुनाव याचिका को डिफ़ॉल्ट या गैर-अभियोजन के लिए खारिज किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो, अगर आदेश अन्यथा मांगा जाता है। न्यायालय शायद ही किसी अनिच्छुक पक्ष को अपने मुकद्दमे पर मुकद्दमा चलाने के लिए मजबूर कर सकता है, भले ही ऐसी निष्क्रियता लापरवाही, उदासीनता या यहां तक कि अक्षमता या

अक्षमता से उत्पन्न हो। चुनाव याचिका को खारिज करने की शक्ति अंतर्निहित शक्ति है जो प्रत्येक ट्रिब्यूनल के पास होती है।

(अनुच्छेद 25)

इसके अलावा, यह माना गया कि उचित या आवश्यक पक्षों की अवधारणा, जैसा कि नागरिक संहिता के तहत जाना जाता है, एक चुनाव याचिका पर लागू नहीं होती है। चुनाव याचिका में किसी पक्ष को शामिल करने के लिए सर्वोपरि विचार वैधानिक दर्जा है, जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करता है और इस तरह की राहत का दावा करने के लिए चुनाव कानून में पात्रता है। उस घटना में अकेले एक मतदाता या एक उम्मीदवार को चुनाव याचिका में याचिकाकर्ता के रूप में शामिल किया जा सकता है।

(अनुच्छेद 27)

इसके अलावा, यह माना गया कि संहिता के प्रावधानों के आवेदन को पूरी तरह से बाहर नहीं रखा गया है और यह निश्चित रूप से, हालांकि, एक चुनाव याचिका के लिए सीमित आवेदन है। एक चुनाव याचिका भी दो पक्षों के बीच एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र की ओर से एक याचिका है जिसमें प्रत्येक मतदाता को अधिनियम के तहत प्रदान की गई सीमाओं के अधीन कानूनी अधिकार है।

गुरमेश बिशनोई बनाम भजन लाल (न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार) (पृष्ठ 6)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

(अनुच्छेद 31)

आगे कहा गया कि अदालत डिफ़ॉल्ट के लिए याचिका को खारिज करने के लिए बाध्य नहीं है, खासकर जब याचिकाकर्ता की ओर से इस तरह की निष्क्रियता दुर्भावनापूर्ण है या कानून की उचित प्रक्रिया को कुंठित करने का इरादा रखती है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा गैर-अभियोजन गुप्त उद्देश्य के लिए है और याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच अनुचित समझौते का परिणाम है। उन परिस्थितियों में, न्यायालय की ओर से यह न तो अनिवार्य होगा और न ही अनिवार्य होगा कि उसे दोष के लिए याचिका को खारिज कर देना चाहिए, खासकर जब मामला केवल याचिका पर अंतिम बहस के लिए तय किया गया है। इस तरह की सीमा न तो न्यायालय की शक्तियों पर रखी जा सकती है और न ही कानून ऐसी सीमाओं को स्वीकार करता है। यहां तक कि प्रक्रियात्मक कानून के तहत भी न्यायालय के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि सभी घटनाओं में न्यायालय को दोष या गैर-अभियोजन के लिए मुकद्दमा या कार्यवाही को खारिज करना होगा। यह हमेशा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अन्य उचित आदेश पारित कर सकता है।

(अनुच्छेद 39)

एस.सी. कपूर, वरिष्ठ अधिवक्ता, साथ में

याचिकाकर्ता की ओर से आशीष कपूर, वकील

जे.के. सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से कुमार सेठी, वकील।

2000 के सीएम नंबर 58-ई-में

एच. एस. हुड्डा, वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रताप सिंह, आवेदक के वकील।

एच. एल. सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता और कुमार सेठी, प्रतिवादी के वकील।

निर्णय

न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार

(1) पक्षकारों की दलीलों पर न्यायालय ने अपने दिनांक 8 नवम्बर, 1996 के आदेश के तहत सात मुद्दे तैयार किए और मामले को प्रारंभिक मुद्दे पर बहस के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, हालांकि आदेश में यह इंगित नहीं किया गया था कि किस मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दा माना जाना है। हालांकि, पक्षों

की सहमति से और जैसा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट था, मुद्दे संख्या 1 को न्यायालय द्वारा प्रारंभिक मुद्दे के रूप में मानने पर सहमति व्यक्त की गई थी- 13 मार्च, 1997 के अपने आदेश के तहत। अंक संख्या 1 निम्नानुसार पढ़ा गया है:-

1. क्या पैरा संख्या 5, 6, 8 (बी), 9 (ए), 11, 14 (ए) और 14 (एफ) में निहित आरोपों में भौतिक तथ्यों की कमी है और अस्पष्ट हैं, यदि हां, तो इसका प्रभाव, ओपीआर।

(2) प्रतिद्वंद्वी तर्कों को प्रमाणित करने के लिए, संबंधित पक्ष की ओर से पेश होने वाले दोनों विद्वान वकीलों ने **धरतीपाकर मदन लाई अग्रवाल बनाम श्री राजीव गांधी**[1] के मामले में एक ही फैसले पर भरोसा किया है।

(3) उस मामले में न्यायालय के समक्ष दो आवेदन थे; एक सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 16 के तहत दलीलों को खारिज करने के लिए और दूसरा आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत याचिका को खारिज करने के लिए । सबसे पहले यह ध्यान देने की जरूरत है कि याचिका की अस्वीकृति के संबंध में

[1] ए आई आर 1987 एस सी 1577

कोई मुद्दा नहीं बनाया गया था और न ही इस न्यायालय के समक्ष अब कोई प्रार्थना है कि याचिका खारिज कर दी जाएगी क्योंकि यह दायरे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के बारे में अर्थ के भीतर कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताती है। इस प्रकार स्पष्ट परिणाम यह है कि भले ही प्रारंभिक मुद्दा आंशिक रूप से या पूरी तरह से प्रतिवादी के पक्ष में तय किया गया हो, लेकिन कुछ पैराग्राफ को हटाने का निर्देश देने के अलावा याचिका पर इसका कोई अन्य प्रभाव नहीं होगा। इसके विपरीत, प्रतिवादी के वकील श्री सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि वह यह भी तर्क नहीं देते हैं कि याचिकाकर्ता की याचिका खारिज होने योग्य है, भले ही मुद्दा नंबर 1 पूरी तरह से प्रतिवादी के पक्ष में तय किया गया हो।

(4) यह इस पृष्ठभूमि में है कि न्यायालय को प्रारंभिक मुद्दे संख्या 1 पर विचार करना है। याचिकाकर्ता के वकील का तर्क यह है कि प्रारंभिक अंक संख्या 1 में बताए गए पैराग्राफ विशिष्ट नहीं हैं और अस्पष्ट हैं क्योंकि वे न्यूनतम बुनियादी जानकारी और पूर्व-आवश्यकताएं भी नहीं देते हैं जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-51 के प्रावधानों के तहत निहित हैं, जिसे बाद में 'अधिनियम' कहा जाता है। आगे यह तर्क दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 123 के तहत वर्णित भ्रष्ट प्रथाओं के आरोपों/आरोपों को, जो अधिनियम की धारा 100 के तहत किसी उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित करने का आधार हो सकता है, एक आपराधिक मुकद्दमे की तरह मुकद्दमा चलाया जाना चाहिए और इस प्रकार उन्हें बहुत विशिष्ट होना चाहिए। अधिनियम की धारा 80 से 83, 86 और 87 के प्रावधानों के अनुरूप

याचिका में निश्चित और स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। यह भी तर्क दिया गया है कि पैराग्राफ 14 (ए) और 14 (एफ) पूरी तरह से अस्पष्ट हैं और वास्तव में अदालत को मछली पकड़ने की जांच करने के लिए बुलाने के बराबर है जो कानून में स्वीकार्य नहीं है। प्रतिवादी इस तरह के आरोपों को उचित रूप से पूरा नहीं कर सकता है और साक्ष्य के दौरान भी इस बात से अवगत नहीं होगा कि प्रतिवादी को किस मामले से मिलना है। प्रतिवादी की ओर से उठाए गए उपरोक्त तर्कों के समर्थन में, विद्वान वकील ने **सामंत एन. बालकृष्ण आदि** बनाम **जॉर्ज फर्नांडीज और अन्य**[2] **हरद्वारी लाई** बनाम **कंवल सिंह**[3]**, अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी**[4] **और गजानन कृष्णजी बापट और एक अन्य** बनाम **डेट्टाजी राघबजी मेघे और अन्य**[5] **के मामलों पर भरोसा किया है।**

(5) दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क यह है कि प्रारंभिक आपत्तियों में बताए गए पैराग्राफ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम **16 के प्रावधानों** के तहत दलीलों से हटाए जाने योग्य नहीं हैं क्योंकि वे केवल हैं मुख्य याचिका के परिचयात्मक या स्वयं अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई का पर्याप्त कारण बनता है। आगे यह तर्क दिया गया है कि एक साथ पढ़े गए पैराग्राफ न तो अस्पष्ट हैं और न ही परेशान करने वाले हैं

---

[2] ए आई आर 1972 एस. सी. 515

[3] ए आई आर 1986 एस. सी. 1253

[4] जे टी 1995 (5) एस. सी. 410

[5] ए आई आर 1976 एस. सी. 744

और वे कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट पूर्व-आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तर्क यह है कि प्रतिवादी के प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा होने की संभावना नहीं है क्योंकि याचिका में बताए गए भ्रष्ट प्रथाओं के किसी भी आरोप में अदालत द्वारा मछली पकड़ने की जांच नहीं की जानी है, इस कारण से कि दलीलें निश्चित हैं और किसी भी मामले में याचिका से जुड़े अनुलग्नक पूरी तरह से तथ्यों को विस्तृत करते हैं और याचिका में कोई अस्पष्टता नहीं छोड़ते हैं। अपनी पूर्व-घोषित दलीलों का समर्थन करने के लिए याचिकाकर्ता के वकील ने **उधव सिंह बनाम माधव राव सिंधिया**[6], **रूप लाई साथी** बनाम **नछत्तर सिंह**[7]और **श्री सूर्यकांत वेंकटरांव महादिक** बनाम **श्रीमती सरोज संदेश नाइक (भोसले)**[8] के मामलों पर भरोसा किया है।

(6) जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, विचार के लिए आने वाला सीमित प्रश्न यह है कि क्या उपर्युक्त प्रारंभिक आपत्तियों में उल्लिखित पैराग्राफ संहिता के आदेश 6 नियम 16 के अर्थ और अवलोकन के भीतर रिकॉर्ड से हटाए जाने योग्य हैं या नहीं। प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा अदालत के समक्ष उठाए गए निश्चित रुख को देखते हुए याचिका की अस्वीकृति का अन्य तर्क विचार के लिए नहीं आता है।

---

[6] ए आई आर 1982 एस. सी. 1559

[7] जे टी 1995 (8) एस. सी. 686

(7) निवेदनों के निर्माण का यह स्थापित सिद्धांत है कि दलीलों को उनकी संपूर्णता में पढ़ते समय सराहना की जानी चाहिए। कुछ पैराग्राफ जो परिचयात्मक हैं या याचिका की रूपरेखा देते हैं, उन्हें यह निर्धारित करने से पहले पिछले पैराग्राफ के साथ संयोजन के रूप में पढ़ा जाना चाहिए कि क्या वे इतने अस्पष्ट हैं या भौतिक तथ्यों की कमी है ताकि ऐसे पैराग्राफ को दलीलों से हटा दिया जा सके।

(8) यह सिद्धांत भी उतना ही सत्य है कि दलीलें विशिष्ट होनी चाहिए और उन्हें उस विशिष्ट मामले को इंगित करना चाहिए जिसे दूसरे पक्ष को मिलने के लिए बुलाया गया है, लेकिन याचिका में विस्तार से साक्ष्य की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि साक्ष्य को दलीलों के दायरे में लाया जाना चाहिए। याचिका में लगाए गए आरोपों का उचित रूप से समर्थन किया जाना चाहिए जबकि पार्टियों को मुकद्दमे के दौरान साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए बुलाया जाता है। ये दलीलों के निर्माण से संबंधित कानून की कुछ स्थापित तोपें हैं जिन्हें समय-समय पर सभी न्यायालयों द्वारा दोहराया गया है। दलीलों को उचित तरीके से और स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप माना जाना चाहिए। न्यायालय निश्चित रूप से इस बात की जांच करेगा कि क्या वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्धारित सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। पैराग्राफ जो अस्पष्ट प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन जब याचिका के अन्य पैराग्राफ के साथ संयोजन में पढ़े जाते हैं, तो अस्पष्ट नहीं रह सकते हैं या उन्हें सामग्री

विवरण और तथ्यों की कमी नहीं कहा जा सकता है। धारा 100 के साथ पठित धारा 123 के प्रावधानों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और आदेश 6 नियम 16 **सी पी सी की अन्य** प्रक्रियात्मक धाराओं के मद्देनजर एक दलील को रिकॉर्ड से केवल तभी हटाया जा सकता है जब यह अनावश्यक, निंदनीय, तुच्छ, परेशान करने वाला हो या ऐसा करने का इरादा रखता हो। निष्पक्ष सुनवाई को पूर्वाग्रहित करना, शर्मिंदा करना या उसमें देरी करना या न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करना और अधिनियम के प्रावधानों में उल्लिखित वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करना। प्रतिवादी ने उपरोक्त अनुच्छेदों को इस सीमित आधार पर हटाने के लिए प्रार्थना करने का विकल्प चुना है कि इसमें भौतिक तथ्यों की कमी है और अस्पष्ट हैं। इसे स्थापित करने के लिए, प्रतिवादी को यह दिखाना होगा कि पैराग्राफ भले ही दलीलों के अन्य पैराग्राफ के साथ संयोजन में पढ़ा जाए, फिर भी ऊपर बताई गई दुर्बलता से पीड़ित होगा। अलग से पढ़ा गया एक पैराग्राफ कुछ अस्पष्ट हो सकता है, लेकिन याचिका के अन्य पैराग्राफ के साथ संयोजन में पढ़ते समय, यह तथ्यों के लिए इसका उचित और निश्चित अर्थ व्यक्त कर सकता है, क्योंकि इससे प्रतिवादी को कोई पूर्वाग्रह नहीं हो सकता है। उस परिस्थिति में पैराग्राफ को रिकॉर्ड से हटाया नहीं जा सकता है। यदि कोई अनुच्छेद परिचयात्मक है और विनिर्देशों और भौतिक तथ्यों के साथ इसका विवरण बाद के पैराग्राफ में प्रदान किया गया है, तो उक्त पैराग्राफ को इस आधार पर रिकॉर्ड से हटाया नहीं जा सकता है कि उसमें भौतिक तथ्यों का अभाव है।

(9) कानून के इन स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय को प्रारंभिक आपत्तियों में इंगित अनुच्छेदों पर चर्चा करनी होगी। पैराग्राफ 5 को अस्पष्ट बताया गया है, जिसमें भौतिक विवरणों की कमी है और कहा गया है कि इसका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों से कोई संबंध नहीं है। यह एक परिचयात्मक पैराग्राफ प्रतीत होता है जो अपने आप में भ्रष्ट आचरण का अपराध नहीं है, लेकिन इंगित करता है कि प्रतिवादी द्वारा क्या भ्रष्ट प्रथाओं को अपनाया गया है, जिसका विवरण याचिका के पैराग्राफ नंबर 7, 11 और 14 में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी को सूचित कर दिया गया है कि प्रतिवादी को किस मामले में मिलना है। यह आरोप कि बूथ कैप्चरिंग सहित भ्रष्ट प्रथाओं के संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन अधिकारी को शिकायतें की गई थीं, अस्पष्ट नहीं कहा जा सकता है क्योंकि शिकायतों का विवरण, शिकायत करने वाले व्यक्तियों के नाम और शिकायतों की तारीखों को याचिकाकर्ता द्वारा अनुबंध फॉर्म 'बीबी' में कानून के अनुसार निर्दिष्ट किया गया है, जिसमें टेलीग्राम और उनके विवरण आदि दिए गए हैं। इस कारण से मेरा विचार है कि याचिका के पैराग्राफ नंबर 5 को दलीलों से हटाया नहीं जा सकता है।

(10) पैराग्राफ संख्या 6 और 7 के संबंध में भी यही स्थिति है। ये परिचयात्मक पैराग्राफ हैं और उनमें नामित व्यक्तियों की भूमिका और उन्होंने अधिनियम के प्रावधानों को कैसे आहत किया, इसका उल्लेख बाद के पैराग्राफ में विशेष रूप से किया गया है। यह पैराग्राफ

केवल इस पृष्ठभूमि को बताता है कि इसमें नामित व्यक्ति प्रतिवादी के करीबी कैसे थे और उन्होंने चुनावी अपराध करने के लिए प्रतिवादी की कथित सहमति से किस तरह से योगदान दिया, यह याचिका के बाद के पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से बताया गया है। हालांकि लिखित बयान में कोई विशेष आपत्ति नहीं की गई थी और साथ ही पैराग्राफ नंबर 7 के संबंध में कोई मुद्दा नहीं बनाया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील को इस संबंध में इस पैराग्राफ की सुनवाई के संबंध में कोई गंभीर आपत्ति नहीं थी।

(11) पैरा 8 (बी) निर्वाचन अधिकारी के रूप में श्री आर सी शर्मा की नियुक्ति और लोगों को प्रतिवादी के लिए मतदान करने की आवश्यकता में उनकी भागीदारी के कतिपय आरोपों से संबंधित है। पैराग्राफ 8 (बी) को पैराग्राफ नंबर 11 के साथ फिर से पढ़ा जाना चाहिए जिसमें यह विशेष रूप से कहा गया है कि ये अधिकारी प्रतिवादी के इशारे और सहमति पर काम कर रहे थे। प्रतिवादी द्वारा पैराग्राफ 8 (बी) और 11 के संबंध में सामूहिक रूप से आधारित तर्क यह है कि अपराध उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उसकी सहमति से किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि धारा 123 की उप-धारा (8) के तहत, जहां तक बूथ कैप्चरिंग का संबंध है, सहमति एक भौतिक तथ्य नहीं है और भ्रष्ट प्रथाओं के लिए भी दलीलें प्रतिवादी की सहमति को पर्याप्त रूप से इंगित करती हैं। पैराग्राफ 8 (बी), 9 (ए) और 11 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और उन्हें एक-दूसरे से अलग करके नहीं समझा जा सकता है।

पैराग्राफ 10 में और पैराग्राफ 11 के शुरुआती शब्दों में यह विशेष रूप से कहा गया है कि दिए गए विवरण के अनुसार प्रतिवादी द्वारा या उसकी सहमति से अन्य व्यक्तियों या उसके चुनाव एजेंटों द्वारा भ्रष्ट आचरण किया गया था। इन पैराग्राफ में भ्रष्ट प्रथाओं और बूथ कैप्चरिंग दोनों का विवरण दिया गया है और याचिका के वास्तविक सार को जानने के लिए उन्हें एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। कार्रवाई का कारण याचिका में बताए गए तथ्यों के पूर्ण बंडलों के आधार पर निर्धारित किया जाना है।

(12) जहां भ्रष्ट आचरण के रूप में कार्य की तारीख, समय और स्थान की दलील दी गई थी और सहमति की पुष्टि की गई थी, उन परिस्थितियों में आरोपों को अस्पष्ट नहीं माना जा सकता था, जिससे याचिकाकर्ता को ऐसी दलीलों का लाभ उठाने से रोक दिया गया था (**श्री सूर्यकांत वेंकटराव महादिक का मामला** पूर्व)। भ्रष्ट आचरण को साबित करने की ज़िम्मेदारी याचिकाकर्ता पर है, लेकिन उचित सबूत जोड़कर मुकद्दमे के दौरान इस तरह की जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाना चाहिए। इस स्तर पर न्यायालय मुख्य रूप से याचिका में लगाए गए आरोपों से संबंधित है। राजनीतिक दलों से अपेक्षा की जाती है कि वे चुनाव के संबंध में किए गए या अधिकृत किए गए खर्च का सही और सही लेखा-जोखा रखें। **गजानन कृष्णजी बापट और एक अन्य** (पूर्व) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त टिप्पणियों का संकेत दिया। लेकिन

न्यायालय को न्याय के हित में अस्पष्ट और नीरस बयान के आधार पर जांच या मछली पकड़ने की जांच को रोकना होगा और प्रतिवादी के प्रति पूर्वाग्रह से बचना होगा।

(13) किसी याचिका का पैरा अपने आप में यह निर्धारित करने के लिए एक मानदंड नहीं हो सकता है कि याचिका कार्रवाई के कारण का खुलासा करती है या नहीं। इसी तरह, क्या पैराग्राफ अस्पष्ट हैं और उनमें भौतिक तथ्यों की कमी है, इसका अर्थ यह लगाया जाना चाहिए कि याचिका को समग्र रूप से पढ़ा जा रहा है, न कि याचिका के एक निश्चित परिचयात्मक या व्याख्यात्मक पैराग्राफ के आधार पर, जो मुख्य दलीलों से अलग है। एक पैराग्राफ अपने आप में बहुत विशिष्ट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बाद के और व्याख्यात्मक पैराग्राफ के साथ संयोजन में पढ़ा जाता है, उस पैराग्राफ की स्पष्ट अस्पष्टता कायम नहीं हो सकती है। पैरा के शुरुआती मोड़ पर स्पष्ट अस्पष्टता याचिका की सही व्याख्या नहीं हो सकती है, जबकि इसे पूरी तरह से पढ़ा जाता है।

(14) प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा जो स्वीकार किया गया है, वह स्वयं इंगित करता है कि उपरोक्त पैराग्राफ हटाए जाने के बावजूद याचिका खारिज करने के लिए उत्तरदायी नहीं थी। इसका मतलब है कि याचिका के अन्य पैराग्राफ भौतिक पैराग्राफ हैं और वे भौतिक तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं और अधिनियम के बारे में वैधानिक प्रावधानों का पालन करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि उपरोक्त पैराग्राफ केवल परिचयात्मक या व्याख्यात्मक

पैराग्राफ हैं, जिन्हें वर्तमान प्रश्न को निर्धारित करने के लिए पूरी याचिका में किए गए तथ्यों और आरोपों की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए।

(15) मेरी उपर्युक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, यह निर्देश दिया जाता है कि पैराग्राफ संख्या 14 (ए), 14 (बी) और 14 (ई) को याचिका से हटा दिया जाएगा और इसे रिकॉर्ड के हिस्से के रूप में नहीं माना जाएगा। केवल यह तथ्य कि लिखित बयान दायर किया गया है, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में याचिकाकर्ता के लिए कोई फायदा नहीं होगा। तदनुसार प्रारंभिक आपत्ति का निपटान किया जाता है।

(16) आगे यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता आज से दो सप्ताह के भीतर अपने गवाहों की सूची प्रतिवादी को अग्रिम प्रति के साथ दायर करेगा। प्रतिवादी, इसके बाद एक सप्ताह के भीतर, रजिस्ट्री में अपने गवाहों की सूची दायर करेगा। याचिकाकर्ता को 26 सितंबर, 1997 और 29 सितंबर, 1997 को अपने गवाहों को तलब करना होगा। प्रक्रिया-याचिकाकर्ता द्वारा सूची के साथ दायर की जाने वाली फीस और भोजन खर्च याचिकाकर्ता उपरोक्त दो तारीखों पर सभी गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। मामले को 22 सितंबर, 1997 को जांच के लिए न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

आदेश दिनांक 23 अप्रैल, 2002 में सी.एम. संख्या 58-ई ऑफ 2000

(17) श्री गुरमेश बिश्नोई ने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से हरियाणा विधानसभा के लिए श्री भजन लाई के निर्वाचन को चुनौती देते हुए यह चुनाव याचिका प्रस्तुत की और प्रार्थना की कि उनके निर्वाचन को शून्य घोषित किया जाए और बूथ कैप्चरिंग आदि के भ्रष्ट आचरण के आधार पर कानून के अनुसार उन्हें छह साल की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाए। याचिका के पक्षकारों द्वारा चुनाव याचिका को गंभीरता से चुनौती दी गई थी।

(18) दिनांक 18 नवम्बर, 1996 के आदेश के तहत न्यायालय ने सात मुद्दे तैयार किए और मुद्दा संख्या 1 को प्रारंभिक मुद्दा मानने का निर्देश दिया। प्रारंभिक मुद्दे का उत्तर न्यायालय द्वारा 22 अगस्त 1997 के आदेश के तहत दिया गया था और पार्टियों को गवाहों की सूची दाखिल करने और निर्धारित तारीख के लिए गवाहों को तलब करने का निर्देश दिया गया था। जैसा याचिकाकर्ता ने भारी-भरकम रिकॉर्ड पेश करने के अलावा 20 गवाहों से पूछताछ की जबकि प्रतिवादियों ने 12 गवाहों से पूछताछ की। इसके बाद मामले को बहस के लिए तय किया गया।

(19) 24 जुलाई, 2000 को, याचिकाकर्ता के वकील ने याचिकाकर्ता की उपस्थिति में कहा कि वह मामले से हटना चाहता है और स्थगन के लिए प्रार्थना की। चूंकि याचिकाकर्ता को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए वकील को याचिका से हटने की अनुमति दी गई और स्थगन की

अनुमति दी गई। रजिस्ट्री ने मामले की सुनवाई 12 सितंबर, 2000 को तय की थी जिस दिन याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं थे और न ही उनकी ओर से कोई वकील पेश हुआ था। न्याय के हित में, अदालत ने रजिस्ट्री को अगली तारीख की सुनवाई के बारे में याचिकाकर्ता को सूचित करने का निर्देश दिया। 28 नवंबर, 2000 को याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ, इस तथ्य के बावजूद कि मामला दो बार बुलाया गया था। तथापि, श्री कुरदा राम नामक व्यक्ति द्वारा 25 नवम्बर, 2000 को एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे उस तारीख को न्यायालय के समक्ष भी सूचीबद्ध किया गया था। इस आवेदन में श्री कुर्दा राम ने वर्तमान याचिका में "याचिकाकर्ता" के रूप में अपने पक्षकार /प्रतिस्थापन के लिए प्रार्थना की।

(20) इस आवेदन का नोटिस गैर-आवेदक/प्रतिवादी को जारी किया गया था और रजिस्ट्री को याचिकाकर्ता श्री गुरमेश बिश्नो को पंजीकृत नोटिस भेजने का भी निर्देश दिया गया था। इस तथ्य के बावजूद कि अदालत द्वारा जारी नोटिस याचिकाकर्ता श्री बिश्नोई को तामील करा दिया गया था, इस आवेदन का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। नोटिस के बावजूद याचिकाकर्ता के लगातार उपस्थित न होने के प्रभाव पर विचार करने और निर्देशों के लिए मामले को स्थगित कर दिया गया।

(21) गैर-आवेदक/प्रतिवादी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने आवेदन पर कोई जवाब दाखिल नहीं किया, लेकिन प्रार्थना की कि मामले को पक्षकार / प्रतिस्थापन के लिए आवेदन पर बहस के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

(22) आवेदक श्री कुरदा राम ने बताया है कि वह ग्राम बालसमंद का निवासी है और मतदाता सूची के क्रम क्रमांक 372, भाग 103 पर उस गांव में पंजीकृत मतदाता/निर्वाचक है, ग्राम बालसमंद आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। आवेदन के पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा गया है: –

“आवेदक की विश्वसनीय जानकारी के अनुसार, चुनाव-याचिकाकर्ता श्री गुरमेश बिश्नोई ने उपर्युक्त चुनाव याचिका में निर्वाचित उम्मीदवार-श्री भजन लाल प्रतिवादी के साथ हाथ मिलाया है और, इस प्रकार, उपर्युक्त को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है चुनाव याचिका जो हरियाणा विधानसभा के 79-आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है।”

आवेदक के अनुसार वह याचिकाकर्ता के रूप में पूर्व-उल्लिखित कारणों के लिए प्रतिस्थापित होने का हकदार है । याचिकाकर्ता के अनुसार, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, जिसे क्रमशः अधिनियम और नियमों के रूप में संदर्भित किया गया है, याचिका को गैर-अभियोजन या चूक के लिए खारिज नहीं किया जा सकता है

और आवेदक को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि चुनाव याचिका पूरे निर्वाचन क्षेत्र की ओर से एक याचिका है।

(23) जैसा कि पहले ही देखा गया है, आवेदन में उल्लिखित तथ्यों को कोई जवाब दाखिल करके विवादित नहीं किया गया है। हालांकि, गैर-आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि अधिनियम या नियमों में किसी तीसरे पक्ष को पक्षकार बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। आवश्यक और / या उचित पार्टी की अवधारणा, जैसा कि नागरिक कानून के लिए जाना जाता है, एक चुनाव याचिका पर लागू नहीं होता है। वास्तव में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 1 नियम 10 के तहत आवेदन, जिसे बाद में संहिता के रूप में संदर्भित किया गया है, सुनवाई योग्य नहीं है।

(24) पक्षकारों की ओर से उठाए गए तर्कों के आधार पर दो मूल प्रश्न विचारार्थ उठते हैं :-

(i) क्या न्यायालय के पास निर्वाचन याचिकाकर्ता द्वारा अभियोजन न चलाए जाने या उपस्थित न होने के आधार पर चुनाव याचिका को खारिज करने का अधिकार है?

(ii) क्या इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, न्यायालय मूल याचिकाकर्ता के स्थान पर एक निर्वाचक को पक्षकार बनाने का निर्देश दे सकता है?

(25) जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, उसे इस न्यायालय को और अधिक हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रश्न अब असंगत नहीं है। **जुगल किशोर** बनाम **डॉ बलदेव प्रकाश**[8] के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा बिना किसी अस्पष्टता के इसका पूरी तरह से जवाब दिया गया है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **डॉ. पी नल्ला थम्पी थेरे** बनाम **बीएल शंकर और अन्य**[9] के मामले में अनुमोदित किया था। नतीजतन, मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि एक चुनाव याचिका को डिफ़ॉल्ट या गैर-अभियोजन के लिए खारिज किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो, अगर आदेश अन्यथा मांगा जाता है। न्यायालय शायद ही किसी अनिच्छुक पक्ष को अपने मुकदमे पर मुकदमा चलाने के लिए मजबूर कर सकता है, भले ही ऐसी निष्क्रियता लापरवाही, उदासीनता या यहां तक कि अक्षमता या अक्षमता से उत्पन्न हो। चुनाव याचिका को खारिज करने की शक्ति अंतर्निहित शक्ति है जो प्रत्येक ट्रिब्यूनल के पास होती है। इस प्रकार, आवेदक की इस दलील को खारिज किया जाता है।

(26) इस न्यायालय के समक्ष निर्धारण के लिए उठने वाले दूसरे प्रश्न पर आते हुए, मुख्य याचिकाकर्ता के आचरण का संदर्भ कुछ लाभ के साथ दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता

---

[8] ए आई आर 1968 पी बी और एच वाई. 152

[9] ए आई आर 1984 एस सी 135

ने इस याचिका को स्थापित किया और तब तक इसका विरोध किया जब तक कि मामले को बहुत गंभीरता और ताकत के साथ बहस के लिए तय नहीं किया गया। याचिका के हर चरण में पक्षों के बीच ज़ोरदार बहस हुई। जब मामले को बहस के लिए तय किया गया तो अचानक याचिकाकर्ता का रुख बदल गया। सबसे पहले, उन्होंने अपने वकील को मामले से वापस ले लिया और फिर उन्होंने खुद भी अदालत के सामने पेश होना बंद कर दिया। मामले पर मुकद्दमा चलाने के रवैये में अचानक यह बदलाव न्यायालय के लिए कुछ चिंता का विषय है। ऊपर उल्लिखित आवेदन के पैराग्राफ संख्या 3 में आवेदक द्वारा किए गए अस्वीकृत कथनों को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्हें इस आवेदन के निपटान के लिए उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संदर्भित करना होगा। जिस बात ने याचिकाकर्ता को एक गर्म चुनावी याचिका में याचिका पर प्रभावी ढंग से मुकद्दमा चलाने से खुद को वापस लेने के लिए प्रेरित किया, यह एक ऐसा मामला है जिस पर गंभीर प्रश्न चिह्न है।

(27) कानून के प्रस्ताव में कोई संदेह नहीं है कि उचित या आवश्यक पार्टियों की अवधारणा, जैसा कि नागरिक संहिता के तहत जाना जाता है, चुनाव याचिका पर लागू नहीं होती है। चुनाव याचिका में किसी पक्ष को शामिल करने के लिए सर्वोपरि विचार वैधानिक दर्जा है, जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करता है और इस तरह

की राहत का दावा करने के लिए चुनाव कानून में पात्रता है। उस घटना में अकेले एक मतदाता या एक उम्मीदवार को चुनाव याचिका में याचिकाकर्ता के रूप में शामिल किया जा सकता है।

(28) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत उचित पार्टी की अवधारणा को चुनावी विवाद से अलग रखा जाना चाहिए। केवल उन व्यक्तियों को चुनाव याचिका के उत्तरदाताओं के रूप में शामिल किया जा सकता है जो धारा 82 और धारा 86 (4) में उल्लिखित हैं और कोई अन्य नहीं। हालांकि, यह वांछनीय और समीचीन प्रतीत हो सकता है, किसी और को उत्तरदाताओं के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को चुनाव याचिका के परीक्षण के लिए लागू किया गया है।

"उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन" अभिव्यक्ति से सीमित सीमा दिखाई देगी। उचित पार्टी की अवधारणा चुनाव याचिका **(बी सुंदरमामी रेड्डी बनाम भारत के चुनाव आयोग और अन्य)**[10] के लिए अज्ञात है।

(29) प्रतिवादी के विद्वान वकील ने इस फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि चूंकि संहिता के आदेश 23 नियम 1 के प्रावधान चुनाव याचिका पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए

[10] 1991 Supp. (2) एस सी सी 624

संहिता के आदेश 1 नियम 10 के प्रावधान भी चुनाव याचिका पर लागू नहीं होते हैं और आवेदक को याचिकाकर्ता के रूप में जोड़ा या प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।

(30) अधिनियम की धारा 82 याचिका के पक्षकारों को निर्दिष्ट करती है। याचिकाकर्ता अपनी याचिका में प्रतिवादी के रूप में शामिल होने के लिए बाध्य है। वापस आए उम्मीदवार की प्रार्थना की प्रकृति के आधार पर, याचिकाकर्ता या किसी अन्य उम्मीदवार के अलावा सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जिनके खिलाफ भ्रष्ट आचरण की दलील दी जाती है। याचिकाकर्ता कौन हो सकता है, यह अधिनियम की धारा 81 के तहत प्रदान किया गया है। ऐसे चुनाव में कोई भी उम्मीदवार या कोई भी मतदाता अकेले याचिकाकर्ता हो सकता है। धारा 81 की उपधारा (i) का स्पष्टीकरण निर्वाचक शब्द की व्याख्या करता है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति जो उस चुनाव में मतदान करने का हकदार था जिससे चुनाव याचिका संबंधित है, चाहे उसने ऐसे चुनाव में मतदान किया हो या नहीं? जैसा कि पहले ही देखा गया है, याचिकाकर्ता होने के लिए किसी पार्टी के लिए आवश्यक स्थिति यह है कि उसे ऐसे चुनाव में चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार होना चाहिए या उसे सवाल किए गए चुनाव के लिए निर्वाचक होना चाहिए। आवश्यक निहितार्थ द्वारा इस वैधानिक स्थिति में संहिता के आदेश 1 नियम 10 के प्रावधानों को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों के आवेदन को शामिल नहीं किया गया है, जैसा कि एक सिविल मुकदमे पर लागू होता है। एक पार्टी उचित या आवश्यक भी प्रतीत हो सकती

है, लेकिन अनिवार्य रूप से चुनाव याचिका के लिए वैधानिक स्थिति का अभाव हो सकता है और इसलिए, इसे जोड़ा नहीं जा सकता है। जहां कानून स्वयं एक कानूनी चरित्र और अभियोग के लिए कुछ निर्धारित शर्तों की संतुष्टि को परिभाषित करता है, उस घटना में इन दोनों अवयवों को संतुष्ट करना होगा।

(31) यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि यह अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है, यद्यपि सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध इसके आचरण और निष्कर्ष के लिए उस पर लागू होते हैं और इस शर्त के अध्यधीन होते हैं कि वे अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप हैं। दूसरे शब्दों में, संहिता के प्रावधानों के आवेदन को पूरी तरह से बाहर नहीं रखा गया है और यह निश्चित रूप से, हालांकि, चुनाव याचिका के लिए सीमित आवेदन है। एक चुनाव याचिका भी दो दलों के बीच एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र की ओर से एक याचिका है जिसमें हर मतदाता अधिनियम के तहत प्रदान की गई सीमाओं के अधीन एक कानूनी अधिकार है। इस स्तर पर, निर्वाचन अधिकरण की शक्तियों और निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र पर चर्चा करते हुए **इनामती मलप्पा बसप्पा** बनाम **देसाई बसवराज अयप्पा और अन्य**[11] के मामले का उल्लेख किया जा सकता है

[11] ए आई आर 1958 एस सी 698

पीठ ने कहा, ''उपरोक्त प्रावधान यह दर्शाते हैं कि एक बार चुनाव याचिका दायर करने का मतलब केवल पार्टियों के बीच मुकाबला नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति पैदा करता है जिसका पूरा निर्वाचन क्षेत्र लाभ उठाने का हकदार है। कोई भी व्यक्ति जो स्वयं याचिकाकर्ता हो सकता है, अपेक्षित शर्तों को पूरा करने पर और ऐसी शर्तों पर प्रतिस्थापित होने का हकदार है, जो ट्रिब्यूनल उचित समझे, पार्टी के वापस लेने के स्थान पर और यहां तक कि एकमात्र याचिकाकर्ता या कई याचिकाकर्ताओं के उत्तरजीवी की मृत्यु भी कार्यवाही को समाप्त नहीं करती है। लेकिन उन्हें किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी रखा जा सकता है जो खुद एक याचिकाकर्ता हो सकता है। यहां तक कि अगर एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है या नोटिस देता है कि वह याचिका का विरोध करने का इरादा नहीं रखता है या किसी भी प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है या ऐसा नोटिस देता है और कोई अन्य प्रतिवादी नहीं है जो याचिका का विरोध कर रहा है, तो इसी तरह की स्थिति उत्पन्न होती है और याचिका का विरोध किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी रखा जा सकता है जो याचिकाकर्ता हो सकता है, बेशक एस 116 में निर्धारित शर्तों की पूर्ति पर। इसलिए ये प्रावधान दिखाते हैं कि एक बार प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका पूरे निर्वाचन क्षेत्र के लाभ के लिए जारी रहती है और केवल याचिकाकर्ता द्वारा इसे वापस लेने या यहां तक कि उसकी मृत्यु या प्रतिवादी द्वारा विरोध की मृत्यु या वापस लेने से समाप्त नहीं हो सकती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी रखा जा सकता है जो याचिकाकर्ता हो सकता है।

गुरमेश बिशनोई बनाम भजन लाल (न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार) (पृष्ठ 29)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

(32) डॉ. पी. नल्ला थम्पी थेरा बनाम बी. एल. शंकर और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के उनके लॉर्डशिप (पूर्व) ने चुनाव याचिका पर सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की प्रयोज्यता और इसकी सीमा पर टिप्पणी की। उनके लॉर्डशिप, जबकि जुगल किशोर बनाम डॉ बलदेव पार्क ऐश (पूर्व) के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय का अनुमोदन करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

पीठ ने कहा, ''कानून में अपीलकर्ता की इस दलील का कोई समर्थन नहीं है कि चुनाव याचिका को चूक के लिए खारिज नहीं किया जा सकता। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि चुनाव याचिका की उपस्थिति या गैर-अभियोजन को वापस लेने या उपशमन के बराबर माना जाना चाहिए और इसलिए, हालांकि अधिनियम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, उसी सिद्धांत को शासित किया जाना चाहिए और अधिनियम की धारा 110 या 116 में प्रदान किए गए अनुसार अधिसूचित करने की बाध्यता लागू की जानी चाहिए। हमें इस तरह के तर्क को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं दिखता है। गैर-अभियोजन या परित्याग निश्चित रूप से वापसी नहीं है। वापसी एक सकारात्मक और स्वैच्छिक कार्य है जबकि गैर-अभियोजन या परित्याग आवश्यक रूप से उल्लंघन का कार्य नहीं हो सकता है। यह लापरवाही, उदासीनता, निष्क्रियता या यहां तक कि अक्षमता या मुकद्दमा चलाने में असमर्थता से उत्पन्न हो सकता है। वापसी के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय के समक्ष कदम उठाए जाने की

परिकल्पना की गई है। गैर-अभियोजन या परित्याग के मामले में, चुनाव याचिकाकर्ता अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होता है और कोई आदेश प्राप्त नहीं करता है। हमने पहले ही संकेत दिया है कि यह अधिनियम एक स्व-निहित संविधि है जो अपनी प्रक्रिया को कड़ाई से लागू करता है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा जा सकता है जो नहीं है और न ही इसके प्रावधानों को सादृश्य द्वारा बढ़ाया या विस्तारित किया जा सकता है। वास्तव में, अनुभाग की शर्तें अधिनियम की धारा 87 स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि यदि अधिनियम में इसके विपरीत कोई प्रावधान नहीं है, तो संहिता के प्रावधान लागू होंगे और इसमें संहिता का आदेश 9 नियम 8 शामिल होगा, जिसके तहत चुनाव याचिका खारिज कर दी जाएगी यदि चुनाव याचिकाकर्ता चुनाव याचिका पर मुकदमा चलाने के लिए उपस्थित नहीं होता है।

"हिदायतुल्लाह, सी.जे. की टिप्पणियों पर ध्यान देना प्रासंगिक है। सुन्दर लाई मन्नालाल बनाम नंदरामदास द्वारकादास (एआईआर 1958 मध्य प्रदेश 260) में, जहां उन्होंने संकेत दिया (पैरा 5)"

उन्होंने कहा, "अब यह अधिनियम बर्खास्तगी की कोई शक्ति नहीं देता है। लेकिन यह स्वयंसिद्ध है कि किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल को उसके समक्ष कार्यवाही जारी नहीं रखनी चाहिए, जब इसे पेश करने वाला पक्ष उपस्थित नहीं हुआ है और न ही उपस्थित रहने की

परवाह करता है। इसलिए, बर्खास्तगी एक अंतर्निहित शक्ति है जो प्रत्येक ट्रिब्यूनल के पास होती है।"

(33) इसके अलावा, यह मानते हुए कि एक चुनाव याचिका जिसे गैर-उपस्थित होने के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था, प्रतिवादी के आवेदन पर बहाल नहीं की जा सकती है।

पीठ ने कहा, ''अपीलकर्ता चुनाव याचिकाकर्ता नहीं था। आदेश IX, संहिता का नियम 9 (और अपीलकर्ता द्वारा भरोसा किए गए नियम 13 नहीं) एक चुनाव याचिका की बहाली के लिए प्रासंगिक प्रावधान होगा। इसे उचित मामले में केवल चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा लागू किया जा सकता है, न कि प्रतिवादी द्वारा। लेकिन इसकी अपनी भाषा, नियम 9 में प्रावधान है कि जहां कोई मुकदमा नियम 8 के तहत पूरी तरह से या आंशिक रूप से खारिज कर दिया गया है, वादी को नया मुकद्दमा लाने से रोक दिया जाएगा, लेकिन वह बर्खास्तगी को रद्द करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकता है। इस नियम के तहत, इसलिए, बहाली के लिए आवेदन केवल याचिकाकर्ता द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि यह बहाली के लिए एक प्रावधान है, इसलिए यह तर्कसंगत है कि प्रावधान केवल तभी लागू होना चाहिए जब वह पक्ष जिसकी उपस्थिति में चूक के कारण याचिका खारिज कर दी गई थी, खारिज होने से पहले याचिका को अपने पूर्व चरण में पुनर्जीवित करने के लिए आवेदन करता है।

"इन प्रस्तावों को संहिता के O.IX, आर 9 के तहत एक आवेदन तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है और प्रतिवादी या किसी अन्य मतदाता के कहने पर खारिज की गई चुनाव याचिका को बहाल नहीं किया जा सकता है।

(34) **चंद्र किशोर झा** बनाम **महावीर प्रसाद और अन्य**[12] के मामले में, जबकि उनके आधिपत्य ने अच्छी तरह से स्थापित एकान्त सिद्धांत का उल्लेख किया यानी यदि कोई क़ानून किसी चीज़ को किसी विशेष तरीके से करने का प्रावधान करता है, तो इसे और किसी अन्य तरीके से नहीं उस तरीके से किया जाना चाहिए, (संदर्भित: **राव शिव बहादू सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[13] **और उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **सिंघारा सिंह**[14] और स्पष्ट रूप से कहा कि इस सिद्धांत का पालन करते हुए, एक पार्टी से असंभव काम करने की उम्मीद नहीं की जाती है। चुनाव याचिका से संबंधित पटना उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार जो याचिका सख्ती से प्रस्तुत नहीं की गई थी, उनके लॉर्डशिप ने कहा कि नियम का शाब्दिक अर्थ लगाया जाना चाहिए और मामले के तथ्य में, बेंच क्लर्क या रजिस्ट्रार के समक्ष याचिका की प्रस्तुति उचित नहीं थी और बाद में खुली अदालत में प्रस्तुत की गई याचिका को याचिका की उचित प्रस्तुति माना गया।

---

[12] (1999) 8 एस सी सी 266

[13] ए आई आर 1954 एस सी 322

[14] ए आई आर 1964 एस सी 358

(35) असंतुष्ट मामले में आवेदक एक निर्वाचक है और उसने वास्तव में चुनाव में मतदान किया था, जो कि चुनाव याचिका का विषय है। आवेदन में उन्होंने कहा था कि वह अधिनियम की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और इस प्रकार, उन्हें याचिकाकर्ता के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। आवेदक, अधिनियम की धारा 81 की सहायता से एक याचिकाकर्ता हो सकता है, लेकिन उसे 45 दिनों के भीतर अपने अधिकार में याचिका पेश करनी थी, लेकिन वापस आए उम्मीदवार के चुनाव की तारीख से पहले नहीं। वर्तमान मामले में वह स्थिति उत्पन्न नहीं हुई क्योंकि एक हारे हुए उम्मीदवार श्री गुरमेश बिश्नोई याचिकाकर्ता थे जिन्होंने याचिका दायर की थी और तारीखों की संख्या के लिए उसी पर मुकद्दमा चलाया था। उन्होंने खुद को अलग कर लिया और अदालत के नोटिस के बावजूद याचिका को आगे बढ़ाने की उपेक्षा की। अदालत ने याचिका खारिज करने का कोई आदेश पेश नहीं होने या अभियोजन नहीं चलाने के लिए पारित नहीं किया। जिस दिन आवेदक द्वारा याचिकाकर्ता के रूप में पक्षकार /प्रतिस्थापित किए जाने के लिए आवेदन दायर किया गया था। याचिका को दलीलों के लिए तय किया गया था और आवेदक प्रार्थना करता है कि उसे उसी सबूत के आधार पर एक पक्ष के रूप में शामिल किया जाए और प्रस्तुत किया जाए कि याचिका पर गुण-दोष के आधार पर फैसला किया जाए। इस तरह के अनुरोध को तर्कसंगत और निष्पक्ष तरीके से देखा जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता श्री गुरमेश बिश्नोई द्वारा अचानक अरुचि

और गैर-अभियोजन, कम से कम प्रथम दृष्टया वास्तविक प्रतीत नहीं होता है और स्पष्ट रूप से गुप्त उद्देश्य के लिए है।

(36) अधिनियम की धारा 108 से 110 के तहत विधायी जनादेश न्यायालय पर यह दायित्व डालता है कि वह चुनाव याचिका को वापस लेने के आवेदन को भी अस्वीकार कर दे यदि ऐसा आवेदन किसी सौदेबाजी या विचार से प्रेरित है जिसे अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यद्यपि लिखित रूप में याचिका वापस लेने के लिए कोई आवेदन नहीं है, लेकिन न्यायालय विधायी मंशा को ध्यान में रखते हुए कानून की प्रक्रिया की रक्षा करने और बेईमान वादी द्वारा कानून की निराशा से बचने के लिए सदैव कर्तव्यबद्ध है । विधायिका ने अधिनियम की धारा 190 (1) के तहत अपने विवेक से चुनाव याचिका वापस लेने का उल्लेख किया है। यह कहा गया है कि एक चुनाव याचिका केवल उच्च न्यायालय की अनुमति से वापस ली जा सकती है। उच्च न्यायालय द्वारा छुट्टी देने से न्यायालय द्वारा उचित विवेक और वैध आधार की आवश्यकता होती है। उच्च न्यायालय द्वारा छोड़े जाने से पहले न्यायालय द्वारा दिमाग का उचित प्रयोग और वैध आधार की आवश्यकता होती है। याचिका पर मुकद्दमा चलाने में याचिकाकर्ता की ओर से आचरण प्रामाणिक नहीं है और पूरी तरह से अस्पष्ट चालन रिकॉर्ड पर आधारित है। यदि याचिकाकर्ता की यह कार्रवाई याचिकाकर्ता के गुप्त उद्देश्य के लिए इस याचिका को वापस लेने के इरादे का संकेत है, तो अदालत इस तरह की कार्रवाई की

अनुमति नहीं देने के लिए बाध्य है। "वापसी" शब्द व्यापक अर्थ का है और इसे अपने सच्चे अर्थों में उदारतापूर्वक माना जाना चाहिए। वापसी लेखन या आचरण द्वारा एक कार्य हो सकता है। महत्वपूर्ण पैरामीटर पार्टी की कार्रवाई होगी, न कि भाषा इस तरह के निर्धारण में एक अंतिम कारक होगी। वेबस्टर के एनसाइक्लोपीडिक अनब्रिज्ड डिक्शनरी ने वापसी शब्द को "वापस लेना या याद करना: एक टिप्पणी वापस लेना: एक असत्य आरोप वापस लेना" के रूप में परिभाषित किया है, जबकि चैंबर्स डिक्शनरी निकासी को "वापस या दूर ले जाना: वापस या दूर ले जाना: (सैनिकों) को सेवानिवृत्त करने के लिए प्रेरित करना: जमा या निवेश से (धन, बचत आदि) लेना: हटाना (से): रद्द करना या बंद करना (एक सेवा, प्रस्ताव, आदि): ध्यान भटकाना, याद करना, वापस लेना, कहना नहीं कहना (दुर्लभ) है।

(37) अभिव्यक्ति का उपरोक्त अर्थ पर्याप्त रूप से इंगित करता है कि आचरण के साथ युग्मित इरादा किसी पार्टी की कार्रवाई को निर्धारित करने और तय करने के लिए मानदंड होगा। जब धारा 109 की उपधारा (2) के तहत आवेदन किया जाता है, तो धारा 110 लागू होती है। इस तरह के लिखित आवेदन की अनुपस्थिति में, अदालत उचित आदेश पारित करने के लिए बाध्य है क्योंकि यह न केवल अदालत के पास उपलब्ध विकल्प है, बल्कि डिफ़ॉल्ट या अन्यथा के लिए याचिका को खारिज करना है। अदालत को गुण-दोष के आधार पर मामले पर

फैसला करने के लिए अच्छी तरह से उचित ठहराया जा सकता है क्योंकि मामला अंतिम बहस के लिए तय किया गया है।

(38) भले ही तर्कों के लिए यह मान लिया जाए कि आवेदक द्वारा दिए गए कथनों के सामने याचिकाकर्ता की ओर से ऐसा आचरण वापसी का कार्य नहीं है, तब भी न्यायालय को उपस्थित होने में चूक के लिए याचिका को खारिज करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है और न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने और उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए उचित आदेश पारित कर सकता है। अधिनियम का संविधि और प्रावधान जिस पर संहिता के प्रावधान निश्चित रूप से लागू होते हैं।

(39) उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में पढ़े गए इस अधिनियम के वैधानिक उपबंधों की योजना में स्पष्ट रूप से अधिदेश दिया गया है कि व्यापक जनहित पर व्यक्तिगत या स्वहित को हावी होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उपरोक्त सिद्धांतों के प्रकाश में अधिनियम के उद्देश्य की प्राप्ति किसी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली का सार है। इस प्रकार, न्यायालय को एक चेतावनी दी जाती है और चुनाव कानून को विनियमित करने वाली इस विशेष प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए व्यापक विवेक भी निहित है। इस तरह की याचिका को सामान्य कानून में एक साधारण मुकदमे या कार्रवाई की तरह नहीं माना जा सकता है। चुनाव प्रक्रिया और उसके परिणाम की शुद्धता सुनिश्चित करने

के लिए विधायिका ने विभिन्न चरणों में अधिनियम में अलग-अलग नियंत्रण और संतुलन प्रदान किए हैं। इस तरह की जांचों में से एक यह है कि अनुचित सौदेबाजी और स्वार्थ के लिए एक व्यक्ति को चुनाव याचिका को निराश या पराजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जो वास्तव में, निर्वाचन क्षेत्र की ओर से एक याचिका है। ये संरक्षण अंतर्निहित हैं और इन्हें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में पढ़ा जाना चाहिए। मैंने पहले ही देखा है कि न्यायालय डिफ़ॉल्ट के लिए याचिका को खारिज करने के लिए बाध्य नहीं है, खासकर जब याचिकाकर्ता की ओर से इस तरह की निष्क्रियता दुर्भावनापूर्ण है या कानून की उचित प्रक्रिया को कुंठित करने का इरादा रखती है। वर्तमान मामले में, कुछ बातें कही गई हैं और यह जोरदार तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा गैर-अभियोजन गुप्त उद्देश्य के लिए है और याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों के बीच अनुचित समझौते का परिणाम है। उन परिस्थितियों में न्यायालय की ओर से यह न तो अनिवार्य होगा और न ही अनिवार्य होगा कि उसे दोष के लिए याचिका को खारिज कर देना चाहिए, खासकर जब मामला केवल याचिका पर अंतिम बहस के लिए तय किया गया हो। इस तरह की सीमा न तो न्यायालय की शक्तियों पर रखी जा सकती है और न ही कानून ऐसी सीमाओं को स्वीकार करता है। यहां तक कि प्रक्रियात्मक कानून के तहत भी न्यायालय के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि सभी घटनाओं में न्यायालय को डिफ़ॉल्ट या गैर-अभियोजन के लिए मुकदमा या कार्यवाही को खारिज करना होगा। यह हमेशा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अन्य उचित आदेश पारित कर सकता है।

(40) अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत किसी याचिका को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज किया जा सके। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने डा. पी नल्ला थम्पी थेरा (पूर्व) के मामले में यह व्यवस्था दी है कि कोई न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए चूक अथवा अभियोजन न चलाने के लिए चुनाव याचिका को खारिज कर सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह दृष्टिकोण इस तथ्य के बावजूद लिया गया है कि इस पहलू से संबंधित अधिनियम में ऐसा कोई सांविधिक प्रावधान नहीं है। इसी मामले में यह भी कहा गया था कि यह स्पष्ट है कि किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण को उसके समक्ष कार्यवाही जारी नहीं रखनी चाहिए जिसमें पक्ष की रुचि नहीं है और बर्खास्तगी को एक अंतर्निहित शक्ति माना जाता था, जो प्रत्येक ट्रिब्यूनल या अदालत के पास होती है। ये टिप्पणियां स्पष्ट रूप से संहिता की धारा 151 के तहत एक अदालत में निहित शक्तियों के अतिरिक्त हैं। अधिनियम की सीमाओं के अध्यधीन, संहिता के प्रावधान अधिनियम की धारा 87 के तहत अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू होते हैं। इस स्तर पर, डॉ. पी. नल्ला थम्पी थेरा के मामले (पूर्व) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना उचित हो सकता है, जहां उनके लॉर्डशिप निम्नानुसार थे। उन्होंने कहा, 'उन फैसलों का इस सवाल से कोई लेना-देना नहीं था कि क्या चुनाव याचिका को चूक के लिए खारिज किया जा सकता है. इस न्यायालय में न्यायिक राय का औचित्य हमेशा यह रहा है कि निर्णयों के संबंध में कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और जहां तक प्रावधान नहीं किया गया है, संहिता लागू

होगी। लगभग आठ साल पहले इस न्यायालय को यह बताने का अवसर मिला था कि यदि विधायिका का इरादा यह था कि इस प्रकार के मामले को भी विशेष प्रावधान द्वारा कवर किया जाना चाहिए, तो यह इरादा पूरा नहीं किया गया था और अधिनियम में एक कमी थी।

(41) उपर्युक्त चर्चा का संचयी प्रभाव यह है कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत चुनाव याचिका की सुनवाई करते समय उच्च न्यायालय को अधिनियम की सीमाओं के अधीन संहिता के प्रावधानों को लागू करना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय में निहित हैं और इसका उपयोग उन अंतरालों को पाटने के लिए किया जाएगा जो अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं होने के परिणामस्वरूप दिखाई दे सकती हैं। लेकिन, निश्चित रूप से, ऐसी शक्ति का प्रयोग कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए और अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने का इरादा होना चाहिए। यह अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है और निश्चित रूप से सामान्य कानून के सिद्धांतों या यहां तक कि देश के सामान्य कानून के आवेदन की गुंजाइश को स्वीकार नहीं करता है।

(42) इस न्यायालय के लिए याचिका वापस लेने, उपशमन या प्रतिस्थापन से संबंधित अधिनियम की धारा 108 से 112 के प्रावधानों पर चर्चा करना उचित है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें से किसी भी घटना पर एक चुनाव याचिका समाप्त नहीं होती है और न्यायालय को समाचार पत्र में एक नोटिस जारी करना है और इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करना

है और कोई भी व्यक्ति जो खुद इस तरह के प्रकाशन के 14 दिनों के भीतर चुनाव याचिका में याचिकाकर्ता हो सकता है। प्रतिस्थापन के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, एक उम्मीदवार या एक निर्वाचक अकेले प्रतिस्थापित होने के लिए आवेदन कर सकता है। प्रतिस्थापन के लिए वर्तमान आवेदन सीमित सीमा तक एक पूर्व-परिपक्व कार्य है कि न्यायालय के समक्ष याचिका को वापस लेने के लिए कोई लिखित आवेदन नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ता के इरादे निश्चित रूप से वास्तविक नहीं हैं और इसका उद्देश्य कानून की प्रक्रिया को कुंठित करना और अदालत को चूक के लिए याचिका को खारिज करने के लिए मजबूर करना है। अदालत को इस तरह के दुर्भावनापूर्ण दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पुरुषों की दुर्भावना को रोका जाना है और अदालत के समक्ष पार्टियों के साथ पर्याप्त न्याय किया जाना चाहिए।

(43) एक चुनाव याचिका एक विशेष कानून के तहत एक याचिका है, जिसे सामान्य कार्यों पर प्राथमिकता दी जाती है। बड़ी संख्या में सुनवाई में साक्ष्य समाप्त करने के बाद और जब मामला अंतिम सुनवाई के लिए तय किया जाता है, तो एक पक्ष को अधिनियम के उद्देश्य को विफल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि चुनाव याचिका निर्वाचन क्षेत्र की ओर से ही एक याचिका है। ऐसे याचिकाकर्ता को कानून या अदालत में धोखाधड़ी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस स्तर पर, **जगन्नाथ** बनाम **जसवंत सिंह और अन्य**[15] के

[15] ए आई आर 1954 एस सी 210

मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों का संदर्भ उपयोगी रूप से दिया जा सकता है, (16) जहां इसे निम्नानुसार माना गया था: -

"उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता या किसी भी प्रतिवादी की मृत्यु के कारण या याचिका के ट्रिब्यूनल को भेजे जाने के बाद याचिका के परीक्षण में कोई दिलचस्पी लेने से चुनाव याचिका समाप्त या विफल नहीं होती है। दूसरी ओर, कोई भी व्यक्ति जो याचिकाकर्ता हो सकता है, वह याचिकाकर्ता या याचिका के प्रतिवादियों की मृत्यु के बावजूद और मूल पक्षों पर मुकद्दमा चलाने में विफल रहने के बावजूद याचिका जारी रख सकता है। ये प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि चुनाव प्रक्रिया, जिस पर सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली आधारित है, का किसी भी उम्मीदवार द्वारा दुरुपयोग या दुरुपयोग नहीं किया जाता है और यह जांच याचिका में पक्षकार बनाए गए व्यक्तियों के बीच मिलीभगत या उनकी संबंधित मौतों से बंद नहीं होती है। (इस न्यायालय द्वारा बलपूर्वक लागू किया गया)

(44) आवेदक के विद्वान वकील ने इनामती मलप्पा बसप्पा (पूर्व) के मामले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि आदेश 23 जैसे संहिता के प्रावधान अधिनियम पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि संहिता के आदेश 1 नियम 10 के ऐसे प्रावधान भी लागू नहीं हो सकते हैं । यह विवाद गलत है। इस मामले में संहिता के आदेश 23 नियम 1 के प्रावधानों और वापसी से संबंधित

अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों (धारा 108 से 110) के बीच एक स्पष्ट संघर्ष था। इस प्रकार, उनके लॉर्डशिप ने माना कि अधिनियम के तहत विशिष्ट प्रावधानों के सामने, एक आवेदक सक्षम मंच पर चुनाव याचिका प्रस्तुत किए जाने के बाद किसी दावे या उसके हिस्से को वापस लेने या छोड़ने के प्रयोजनों के लिए संहिता के आदेश 23 नियम 1 के प्रावधानों पर भरोसा नहीं कर सकता है। डॉ. पी. नल्ला थम्पी थेरा (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां एक याचिका को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था, जिसे करने के लिए न्यायालय सक्षम था, याचिका की बहाली के लिए तीसरे पक्ष द्वारा आवेदन संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा आवेदन केवल एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है जो याचिका में एक पक्ष है और कोई नहीं। लेकिन उनके लॉर्डशिप ने इस मामले में विशेष रूप से कहा कि अधिनियम की सीमाओं के अधीन संहिता के प्रावधान न्यायालय के समक्ष चुनाव याचिका के अभियोजन पर लागू होते हैं। वास्तव में उनके लॉर्डशिप ने अपनी अंतर्निहित शक्तियों के तहत एक याचिका को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज करने की अदालत की शक्ति को बरकरार रखा, हालांकि इस संबंध में अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। इस प्रकार, प्रतिवादी/गैर-आवेदक के विद्वान वकील द्वारा इन दो मामलों पर रखी गई निर्भरता का शायद ही कोई फायदा है।

(45) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, मेरा सुविचारित विचार है कि इस न्यायालय के पास उपस्थित होने में चूक या गैर-अभियोजन के लिए चुनाव याचिका को खारिज करने की शक्ति है, लेकिन इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से जब चुनाव याचिका अंतिम बहस के लिए तय की जाती है, तो किसी भी पक्ष के लिए किसी भी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा यदि आवेदक को याचिका जारी रखने की अनुमति दी जाती है। उसी रिकॉर्ड का आधार ज्यादा से ज्यादा यह केवल गुण-दोष के आधार पर चुनाव याचिका को अंतिम रूप से समाप्त करने के लिए न्यायालय को प्रदान की गई सहायता होगी। इस न्यायालय के लिए इस याचिका को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज करना न तो अनिवार्य है और न ही इच्छुक है, खासकर जब याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति को गुप्त उद्देश्यों के लिए कहा जाता है और ऊपरी तौर पर इसमें प्रमाणिकता का अभाव होता है। मैं इस आवेदन को इस हद तक सीमित करने की अनुमति देता हूं कि आवेदक को अंतिम बहस में याचिका के गुण-दोष के आधार पर अदालत को संबोधित करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

(46) 17 मई, 2002 को अंतिम सुनवाई के लिए चुनाव याचिका सूचीबद्ध करें ।

आर.एन.आर.

गुरमेश बिशनोई बनाम भजन लाल (न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार) (पृष्ठ 44)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2)

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता महाजन

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer)

कैथल, हरियाणा